सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी—केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2024 / 325 दर्ज तिथिः—05.08.2024

1. राणसिंह पुत्र डूंगरसिंह
   जाति रावणा राजपूत साकिन नयानगर ग्राम पंचायत नया नगर तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर।

.....वादी

बनाम

1. उतमचंद पुत्र रूगनाथमल
   जाति महाजन जैन, निवासी नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
2. ONGCL केयर्न ऑयल एण्ड गैस वेदान्ता लिमिटेड वेलपेड संख्या—8
   वेलपेड साईट मालियों की ढाणी आरजीटी, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादी

3. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

.....तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादीः—श्री रामजीवन विश्नोई
श्री मुकुल सर्राफ

वादपत्र अन्तर्गत धारा—183, 188
राजजस्थान काश्त0 अधि0—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—22.12.2025

1. आज यह पत्रावली राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा—183, 188 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है
   - कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 649 / 1.4002 है0 मौजा मालियों की ढाणी, पटवार हल्का नगर तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित हैं। वादी की उक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाकर नेखमबंदी की हुई है। वादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 18:03:45 IST
Reason: SelfAttested

की उक्त खातेदारी आराजी के पड़ौस में प्रतिवादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 648, 648/1 मौजा मालियों की ढाणी में अवस्थित हैं।

- कि वादी द्वारा दायर नेखमबंदी आवेदन संख्या 149/2022 उनवान राणसिंह बनाम उतमचंद को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को दिनांक 01.11.2022 को आदेशित किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा दिनांक 28.05.2024 को मौका निरीक्षण एवं मौका जमीन नापकर व सीमाज्ञान कर नेखमबंदी करते हुए फर्द मौका, नक्शा तैयार किया जाकर वादी की खातेदारी आराजी के बिन्दु संख्या क, ख, ग, घ, ड़, च स्थापित किये गये। जिसमें बिन्दु संख्या क एवं घ के कोनों पर प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रतिवादी संख्या 02 के साथ मिलकर वादी की उक्त भूमि पर ओएनजीसीएल कम्पनी के वेलपेड संख्या 08 का निर्माण वादी को अंधेरे में रख कर दिया गया। इस प्रकार वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 649/1 पर नेखमबंदी पालना रिपोर्ट 28.05.2024 के बिन्दु संख्या क एवं घ पर प्रतिवादी का अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा पाया गया।
- कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 को अपना अवैध कब्जा हटाने हेतु कहा गया। परंतु प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा हटाने से मना कर दिया। प्रतिवादी द्वारा वादी की खातेदारी भूमि की जबरन कब्जा किया गया हैं। प्रतिवादी द्वारा वादी की खातेदारी भूमि पर अपना अनाधिकृत कब्जा कर वादी के कब्जा काश्त की भूमि को अपनी भूमि बताकर अवैध कब्जा किया गया है तथा वादी की खातेदारी भूमि पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादी अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी।
- इस कारण वादी द्वारा वादी की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 द्वारा आंशिक भाग नेखमबंदी पालना रिपोर्ट 28.05.2024 के बिन्दु संख्या क एवं घ पर अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा को अवैध कब्जा करार देते हुए प्रतिवादी को वादी की उक्त अवैध कब्जेशुदा आराजी से बेदखल करते हुए वादी को कब्जा दिलवाकर वादी की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादी ने वादी की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादी के विरूद्ध बेदखली व कब्जा सुपुर्दगी के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

2. दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी जरिये अधिवक्तागण हाजिर न्यायालय हुए तथा वादी के वाद पत्र का जबाव पेश कर निवेदन किया—

- प्रतिवादी संख्या 01 ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 अपनी—अपनी खातेदारी आराजी पर वर्षों से काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। वादी एवं प्रतिवादी की उक्त खातेदारी आराजी की सेढ पर पुराने पेड़ एवं सेढा माठ बनी हुई है। जिसका वादी द्वारा अपने वादपत्र में स्वीकारोक्ति की है। प्रतिवादी संख्या 01 का अपना कब्जा वक्त जागीरकाल से निर्बाध एवं शांतिपूर्वक रूप से चला आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य पूर्व में कभी भी कब्जे को लेकर विवाद नहीं हुआ है। वादी द्वारा गलत रकबा की आड़ में

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 18:03:45 IST
Reason: SelfAttested

सेटलमेंट के 70 वर्षों पश्चात् उक्त वाद गलत वादकारण के आधार पर पेश किया है। जो म्याद बाहर होने एवं बिना वादकारण पेश किया होने से काबिल—ए—खारिज है।

- कि वादपत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट—ए भाग प्रतिवादी संख्या 01 के कब्जे व काश्त की आराजी है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा काश्त वक्त भू—प्रबंध से चलता आ रहा है। इस आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 उक्त आराजी पर अतिक्रमी नहीं होकर उक्त रकबा प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी में घोषित करवाने का अधिकारी है। अंत में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने जवाब एवं प्रतिदावा में निवेदन किया कि परिशिष्ट—ए भाग में दर्शित रकबा प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी में घोषित करते हुए वादी को प्रतिवादी संख्या 01 की उक्त घोषित आराजी पर दखलअंदाजी नहीं करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।
- प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की उक्त आराजी मौजा मालियों की ढाणी में अवस्थित है। प्रतिवादी संख्या 01 के स्वामित्व व आधिपत्य की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 648 रकबा 14—14 बीघा मौजा मालियों की ढाणी में प्रतिवादी संख्या 01 उतमचंद पुत्र रूगनाथमल जैन के नाम इन्द्राज थी। उक्त आराजी भूमि अवाप्ति अधिकारी, बाड़मेर के प्रकरण संख्या 334/2010 दिनांक 18.10.2011 द्वारा अवाप्त की जाकर बाद विधिवत प्रक्रिया उक्त आराजी का मुआवजा राशि रूपये 44,23,661/— रूपये प्रतिवादी संख्या 01 को अदा कर भूमि अवाप्त की गई।
- कि तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा उक्त भूमि की राजस्व टीम हल्का पटवारी, भू—अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार द्वारा मौके पर अवाप्तशुदा भूमि की पैमाईश कर नेखम स्थापित कर प्रतिवादी संख्या 02 को अपना कब्जा सुपुर्द किया गया। जिस पर मौके पर प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा तत्समय ही वेलपेड निर्माण कार्य कर दिया गया था।
- कि भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 02 को वेलपेड के आस—पास गैस निकासी हेतु पाईपलाईन निकालने की आवश्यकता होने पर प्रतिवादी संख्या 02 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के स्वामित्व की मौजा मालियों की ढाणी की खसरा संख्या 647, 648, 648/2 की भूमि को वर्ष 2021 में 14 वर्ष 11 माह के लिये लीज पर लिया गया है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 02 का कब्जा निर्बाध रूप से चला आ रहा होकर प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा राष्ट्रहित में गैस उत्पादन का कार्य किया जा रहा है।
- कि प्रतिवादी संख्या 02 भारत सरकार द्वारा अधिकृत कम्पनी है जो राष्ट्रहित में गैस एवं तेल उत्पादन का कार्य करती है। वादी द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन में वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 की फर्जी तामिल बताकर दिनांक 01.11.2022 को नेखमबंदी का एकपक्षीय आदेश करवाया गया। उक्त नेखमबंदी आदेश में न्यायालय द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी को वादी की उक्त आराजी की नेखमबंदी हेतु आदेशित किया गया। परंतु तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा 19 माह की लम्बी अवधि के पश्चात् वादी के साथ मिलीभगत कर उक्त नेखमबंदी की गई। जिसकी सूचना प्रतिवादी संख्या 02 को नहीं दी गई। इस प्रकार तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा न्यायालय आदेश की पालना समय पर नहीं करने एवं प्रतिवादी संख्या 02 को सूचित नहीं करने के साथ वादी के साथ मिलीभगत कर उक्त नेखमबंदी कार्यवाही करने के संबंध में तहसीलदार गुड़ामालानी से

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 13:03:45 IST
Reason: SelfAttested

स्पष्टीकरण मांगा जावे। ताकि तहसीलदार की वादी के साथ मिलीभगत न्यायालय के सामने आ सके।

- कि प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा वादी की खातेदारी आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं किया गया है। साथ ही नेखमबंदी पालना के बिन्दु संख्या क एवं घ मनमाने तरीके से नेखमबंदी बिन्दु स्थापित किये होने से वादी उसे मुक्त करवाने का अधिकारी नहीं है।
- कि प्रतिवादी संख्या 02 भारत सरकार द्वारा अधिकृत कम्पनी है जो राष्ट्रहित में गैस एवं तेल उत्पादन का कार्य करती है। प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा उक्त आराजी अवाप्त भूमि एवं लीज पर ली गई भूमि होने के आधार पर अवाप्त भूमि एवं लीज पर ली गई भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय को कब्जा दिलाने या निषेधाज्ञा प्राप्ति के अनुतोष देने की विधिक अधिकारिता नहीं होने के आधार पर उक्त वाद हाजा न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नहीं होने के आधार पर काबिल—ए—खारिज है।
- कि रागेश्वरी वेलपेड संख्या 08 पर स्थित कार्य राष्ट्रहित का कार्य है। उक्त क्षेत्र में गैस की उपलब्धता एवं गैस के वेलपेड से लगाकर उत्पादन होने से भारत गैस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही उक्त कार्य राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण कदम है। धातव्य है कि बाड़मेर जिल में ओएनजीसीएल एवं केयर्न कम्पनी द्वारा तेल एवं गैस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य संपादित किया जा रहा है। इस प्रकार ऐसे राष्ट्रहित के प्रोजेक्ट हेतु अवाप्त भूमि के संबंध में विवाद उत्पन्न करना आमजन के हितों के विपरीत है। इस प्रकार उक्त वाद चलने योग्य नहीं होने से काबिल—ए—खारिज है।
- कि प्रतिवादी संख्या 02 भारत सरकार द्वारा अधिकृत कम्पनी है जो राष्ट्रहित में गैस एवं तेल उत्पादन का कार्य करती है। प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा उक्त आराजी अवाप्त भूमि एवं लीज पर ली गई है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 02 कम्पनी द्वारा वेलपेड स्थापित किये जाकर गैस एवं तेल उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादी या अन्य तृतीय व्यक्ति द्वारा उक्त आराजी में दखलअंदाजी की जाती है तो भारत सरकार के राजस्व आय में व कम्पनी को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। अतः कम्पनी की अवाप्तशुदा आराजी खसरा संख्या 647, 648, 648/1, 648/2 पर वादी व वादी के सहयोगियों को दखलअंदाजी नहीं करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

3. प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा जबाव पेश करने के पश्चात निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गये—

1. आया वादी अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 649/1. 4002 है0 मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी भूमि के आंशिक भाग पर प्रतिवादी द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाकर प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

.....वादी

2. आया वादी अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 649/1. 4002 है0 मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी पर विरूद्ध प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

.....वादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 18:03:45 IST
Reason: SelfAttested

3. आया प्रतिवादी संख्या 01 दावा के साथ संलग्न परिशिष्ठ—ए में अंकित भाग पर दीर्घकाल से शांतिपूर्वक कब्जा होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है।

.....प्रतिवादी संख्या 01

4. आया वादी का दावा मियाद बाहर होने के कारण काबिल—ए—खारिज है।

.....प्रतिवादी संख्या 01

5. आया प्रतिवादी का वादी की आराजी पर कोई नवीन कब्जा नहीं होने के कारण वादी का दावा काबिल—ए—खारिज है।

.....प्रतिवादी संख्या 01

6. आया वादवर्णित आराजी की नियमानुसार भूमि अवाप्ति होने के कारण हाजा न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण वादी का दावा काबिल—ए—खारिज है।

.....प्रतिवादी संख्या 02

7. आया प्रतिवादी संख्या 02 वादवर्णित आराजी की नियमानुसार भूमि अवाप्ति होने के कारण विरूद्ध वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

.....प्रतिवादी संख्या 02

8. अन्य दादरसी

.....उभय—पक्षकारान

4. पत्रावली पर विचारण आंरभ किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा प्रकरण में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य व प्रदर्श प्रस्तुत किए गएः—

प्रदर्श	दस्तावेज	दिनांक/सम्वंत
प्रदर्श—1	जमाबंदी खाता संख्या 105	2072—2075
प्रदर्श—2	नक्शा खसरा संख्या 649 मौजा मालियों की ढाणी	वर्तमान नक्शा
प्रदर्श—3	जमाबंदी खाता संख्या 16	2072—2075
प्रदर्श—4	नक्शा खसरा संख्या 648 मौजा मालियों की ढाणी	वर्तमान नक्शा
प्रदर्श—5	जमाबंदी खाता संख्या 154	2072—2075
प्रदर्श—6	नक्शा खसरा संख्या 648/1 मौजा मालियों की ढाणी	वर्तमान नक्शा
प्रदर्श—7—17	प्रकरण संख्या 149/2022 उनवान राणसिंह बनाम उतमचंद नेखमबंदी आदेश एवं पालना रिपोर्ट	निर्णय दिनांक 01.11.2022 पालना दिनांक 28.05.2024

5. प्रकरण में वादी द्वारा निम्न गवाह साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनकी चीफ करवाकर बयान लेखबद्ध किए जाकर शामिल पत्रावली किए गएः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 13:03:45 IST
Reason: SelfAttested

क्र.स.	नाम मय वल्दीयत	निवासी
पी. डब्ल्यू.—1	राणसिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति रावणा राजपूत	नया नगर तहसील गुड़ामालानी
पी. डब्ल्यू.—2	भूपाराम पुत्र केवाराम जाति माली	मालियों की ढाणी, तहसील गुड़ामालानी

6. प्रकरण में राणसिंह पुत्र डूंगरसिंह पी0डब्ल्यू—01, भूपाराम पुत्र केवाराम पी0डब्ल्यू—02, द्वारा अपने साक्ष्य शपथ पत्र में समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये—

- कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 649 / 1.4002 है0 मौजा मालियों की ढाणी, पटवार हल्का नगर तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित हैं। वादी की उक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाकर नेखमबंदी की हुई है। वादी की उक्त खातेदारी आराजी के पड़ौस में प्रतिवादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 648, 648 / 1 मौजा मालियों की ढाणी में अवस्थित हैं।
- कि वादी द्वारा दायर नेखमबंदी आवेदन संख्या 149 / 2022 उनवान राणसिंह बनाम उतमचंद को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को दिनांक 01.11. 2022 को आदेशित किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा दिनांक 28.05.2024 को मौका निरीक्षण एवं मौका जमीन नापकर व सीमाज्ञान कर नेखमबंदी करते हुए फर्द मौका, नक्शा तैयार किया जाकर वादी की खातेदारी आराजी के बिन्दु संख्या क, ख, ग, घ, ड़, च स्थापित किये गये। जिसमें बिन्दु संख्या क एवं घ के कोनों पर प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रतिवादी संख्या 02 के साथ मिलकर वादी की उक्त भूमि पर ओएनजीसीएल कम्पनी के वेलपेड संख्या 08 का निर्माण वादी को अंधेरे में रख कर दिया गया। इस प्रकार वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 649 / 1 पर नेखमबंदी पालना रिपोर्ट 28.05.2024 के बिन्दु संख्या क एवं घ पर प्रतिवादी का अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा पाया गया।
- कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 को अपना अवैध कब्जा हटाने हेतु कहा गया। परंतु प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा हटाने से मना कर दिया। प्रतिवादी द्वारा वादी की खातेदारी भूमि की जबरन कब्जा किया गया हैं। प्रतिवादी द्वारा वादी की खातेदारी भूमि पर अपना अनाधिकृत कब्जा कर वादी के कब्जा काश्त की भूमि को अपनी भूमि बताकर अवैध कब्जा किया गया है तथा वादी की खातेदारी भूमि पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादी अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी।
- इस कारण वादी द्वारा वादी की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 द्वारा आंशिक भाग नेखमबंदी पालना रिपोर्ट 28.05.2024 के बिन्दु संख्या क एवं घ पर अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा को अवैध कब्जा करार देते हुए प्रतिवादी को वादी की उक्त अवैध कब्जेशुदा आराजी से बेदखल करते हुए वादी को कब्जा दिलवाकर वादी की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादी ने वादी की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादी के विरूद्ध बेदखली व कब्जा सुपुर्दगी के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 18:03:45 IST
Reason: SelfAttested

- इस संबंध में दावे के समर्थन में पैरा संख्या 4 में अंकित दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए प्रदर्श करवाए है।

7. प्रकरण में पी0डब्ल्यू—1 की साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में अभिकथन किया कि यह कहना सही है कि वादपत्र मैंने पढकर पेश किया है। विवादग्रस्त खेत की खसरा संख्या 649 है। जो मालियों की ढाणी में स्थित है। यह कहना गलत है कि राणसिंह बनाम उत्तमचंद वगेरा प्रकरण संख्या 149 / 2022 में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2022 में प्रतिवादी उपस्थित न हो। यह कहना सही है कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रतिवादी संख्या 02 को अतिक्रमण करवाया हो तो इस संबंध में मेरे द्वारा कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की गई हो। यह कहना सही है कि प्रदर्शडी—1 फर्द नेखमबंदी का ए से बी भाग सही है। जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं। प्रदर्शडी—1 दस्तावेज मैंने पढकर हस्ताक्षर किये एवं गवाहों ने भी पढकर हस्ताक्षर किये थे। जिस पर ई से एफ हीराराम, जी से एच प्रवीणसिंह, आई से जे चंपालाल एवं के से एल भूपाराम के हस्ताक्षर हैं। मौका फर्द प्रदर्शडी—1 के एम से एन एवं ओ से पी भाग में खसरा संख्या 149 अंकित किया है। जो सही अंकित किया है। जिस पर कंपनी का कब्जा है। यह कहना सही है कि मेरे खेत का खसरा संख्या 649 व खसरा संख्या 149 दोनों अलग—अलग हैं। यह कहना सही है कि प्रदर्शडी—1 रिपोर्ट मेरे वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 649 की नहीं है। पत्थर संख्या क से घ पर पत्थर नहीं लगाए गए। यह कहना सही है कि कम्पनी का वेलपेड संख्या 8 खसरा संख्या 648 पर अवाप्तशुदा भूमि पर बना हुआ है। कम्पनी ने 648 नंबर की भूमि, भूमि अवाप्ति अधिकारी से अवाप्ति की कार्यवाही कर चारों तरफ तारबंदी कर कंपनी को सुपुर्द की थी। यह बात सही है। यह कहना सही है कि अवाप्ति से लेकर आज दिना तक अवाप्तशुदा भूमि पर कंपनी का कब्जा है। यह कहना सही है कि खसरा संख्या 648 की भूमि, भूमि अवाप्ति अधिकारी बाद अवाप्त कंपनी को सुपुर्द की थी। अज खुद कहा कि वो जमीन मेरी नहीं है। मेरी जमीन 649 खसरा संख्या है।

8. प्रकरण में पी0डब्ल्यू—2 की साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में अभिकथन किया कि मेरा नाम भूपाराम है। यह शपथ पत्र मैंने पढ लिखकर पेश किया है। यह कहना सही है कि मेरे शपथ पत्र में मेरे राणसिंह के खेत पड़ौसी होने के संबंध में मेरे खेत का खसरा संख्या अंकित नहीं है। यह कहना सही है कि मेरे राणसिंह के खेत के पड़ौसी होने के संबंध में मैंने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। यह कहना सही है कि वादग्रस्त खेत की भूमि अवाप्त करवाकर लेने से आज दिन तक कंपनी का कब्जा है। जो वेलपेड संख्या 8 खसरा संख्या 648 में बना हुआ है। कंपनी ने 648 के अलावा कोई भी खसरा कंपनी ने किराए पर नहीं ली है। यह कहना सही है कि वेलपेड के आसपास की भूमि कंपनी ने अवाप्त व किराए पर ले रखी है जिस पर कंपनी का कब्जा है। जिसमें सरकार हेतु तेल का उत्खनन किया जा रहा है व गैस के उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। तेल उत्खनन सार्वजनिक हित हेतु नहीं किया जा रहा है। प्रदर्शडी—1 मौका रिपोर्ट सही है जिस पर के से एल मेरे हस्ताक्षर हैं।

9. वादी साक्ष्य के पश्चात् पत्रावली प्रतिवादी के साक्ष्य में रखी गई। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य व प्रदर्श प्रस्तुत किए गएः—

प्रदर्श	दस्तावेज	दिनांक / सम्वंत

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 18:03:45 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रदर्श डी—1	नेखमबंदी पालना रिपोर्ट	28.05.2024

10. प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा निम्न गवाह साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनकी चीफ करवाकर बयान लेखबद्ध किए जाकर शामिल पत्रावली किए गएः—

क्र.स.	नाम मय वल्दीयत	निवासी
डी. डब्ल्यू.—1	चक्रेश कुमार पुत्र भूरेराम शर्मा वरिष्ठ प्रबंधक, केयर्न ऑयल एण्ड गैस वेदांता लिमिटेड	नागाणा, बाड़मेर
डी. डब्ल्यू.—2	उतमचंद पुत्र रूघनाथमल जाति महाजन जैन	नगर, तहसील गुड़ामालानी

11. प्रकरण में चक्रेश कुमार पुत्र भूरेराम शर्मा वरिष्ठ प्रबंधक, केयर्न ऑयल एण्ड गैस वेदांता लिमिटेड डी0डब्ल्यू—01 द्वारा अपने साक्ष्य शपथ पत्र में निम्न प्रकार कथन किये—

- कि प्रतिवादी संख्या 01 के स्वामित्व व आधिपत्य की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 648 रकबा 14—14 बीघा मौजा मालियों की ढाणी में प्रतिवादी संख्या 01 उतमचंद पुत्र रूगनाथमल जैन के नाम इन्द्राज थी। उक्त आराजी भूमि अवाप्ति अधिकारी, बाड़मेर के प्रकरण संख्या 334/2010 दिनांक 18.10.2011 द्वारा अवाप्त की जाकर बाद विधिवत प्रक्रिया उक्त आराजी का मुआवजा राशि रूपये 44,23,661/— रूपये प्रतिवादी संख्या 01 को अदा कर भूमि अवाप्त की गई।
- कि तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा उक्त भूमि की राजस्व टीम हल्का पटवारी, भू—अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार द्वारा मौके पर अवाप्तशुदा भूमि की पैमाईश कर नेखम स्थापित कर प्रतिवादी संख्या 02 को अपना कब्जा सुपुर्द किया गया। जिस पर मौके पर प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा तत्समय ही वेलपेड निर्माण कार्य कर दिया गया था।
- कि भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 02 को वेलपेड के आस—पास गैस निकासी हेतु पाईपलाईन निकालने की आवश्यकता होने पर प्रतिवादी संख्या 02 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के स्वामित्व की मौजा मालियों की ढाणी की खसरा संख्या 647, 648, 648/2 की भूमि को वर्ष 2021 में 14 वर्ष 11 माह के लिये लीज पर लिया गया है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 02 का कब्जा निर्बाध रूप से चला आ रहा होकर प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा राष्ट्रहित में गैस उत्पादन का कार्य किया जा रहा है।
- कि प्रतिवादी संख्या 02 भारत सरकार द्वारा अधिकृत कम्पनी है जो राष्ट्रहित में गैस एवं तेल उत्पादन का कार्य करती है। वादी द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन में वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 की फर्जी तामिल बताकर दिनांक 01.11.2022 को नेखमबंदी का एकपक्षीय आदेश करवाया गया। उक्त नेखमबंदी आदेश में न्यायालय द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी को वादी की उक्त आराजी की नेखमबंदी हेतु आदेशित किया गया। परंतु तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा 19 माह की लम्बी अवधि के पश्चात् वादी के साथ मिलीभगत कर उक्त नेखमबंदी की गई। जिसकी सूचना प्रतिवादी संख्या 02 को नहीं दी गई। इस प्रकार तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा न्यायालय आदेश की पालना समय पर नहीं करने एवं प्रतिवादी संख्या 02 को सूचित नहीं करने के साथ वादी के साथ मिलीभगत

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 18:03:45 IST
Reason: SelfAttested

कर उक्त नेखमबंदी कार्यवाही करने के संबंध में तहसीलदार गुड़ामालानी से स्पष्टीकरण मांगा जावे। ताकि तहसीलदार की वादी के साथ मिलीभगत न्यायालय के सामने आ सके।

- कि प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा वादी की खातेदारी आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं किया गया है। साथ ही नेखमबंदी पालना के बिन्दु संख्या क एवं घ मनमाने तरीके से नेखमबंदी बिन्दु स्थापित किये होने से वादी उसे मुक्त करवाने का अधिकारी नहीं है।
- कि प्रतिवादी संख्या 02 भारत सरकार द्वारा अधिकृत कम्पनी है जो राष्ट्रहित में गैस एवं तेल उत्पादन का कार्य करती है। प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा उक्त आराजी अवाप्त भूमि एवं लीज पर ली गई भूमि होने के आधार पर अवाप्त भूमि एवं लीज पर ली गई भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय को कब्जा दिलाने या निषेधाज्ञा प्राप्ति के अनुतोष देने की विधिक अधिकारिता नहीं होने के आधार पर उक्त वाद हाजा न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नहीं होने के आधार पर काबिल—ए—खारिज है।
- कि रागेश्वरी वेलपेड संख्या 08 पर स्थित कार्य राष्ट्रहित का कार्य है। उक्त क्षेत्र में गैस की उपलब्धता एवं गैस के वेलपेड से लगाकर उत्पादन होने से भारत गैस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही उक्त कार्य राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण कदम है। धातव्य है कि बाड़मेर जिल में ओएनजीसीएल एवं केयर्न कम्पनी द्वारा तेल एवं गैस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य संपादित किया जा रहा है। इस प्रकार ऐसे राष्ट्रहित के प्रोजेक्ट हेतु अवाप्त भूमि के संबंध में विवाद उत्पन्न करना आमजन के हितों के विपरीत है। इस प्रकार उक्त वाद चलने योग्य नहीं होने से काबिल—ए—खारिज है।
- कि प्रतिवादी संख्या 02 भारत सरकार द्वारा अधिकृत कम्पनी है जो राष्ट्रहित में गैस एवं तेल उत्पादन का कार्य करती है। प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा उक्त आराजी अवाप्त भूमि एवं लीज पर ली गई है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 02 कम्पनी द्वारा वेलपेड स्थापित किये जाकर गैस एवं तेल उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादी या अन्य तृतीय व्यक्ति द्वारा उक्त आराजी में दखलअंदाजी की जाती है तो भारत सरकार के राजस्व आय में व कम्पनी को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। अतः कम्पनी की अवाप्तशुदा आराजी खसरा संख्या 647, 648, 648/1, 648/2 पर वादी व वादी के सहयोगियों को दखलअंदाजी नहीं करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।
- इस संबंध में प्रतिदावे के समर्थन में पैरा संख्या 9 में अंकित दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए प्रदर्श करवाए है।

12. प्रकरण में डी0डब्ल्यू—01 की साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में अभिकथन किया कि यह हमारी लीज सुदा जमीन है जिसके खसरा नं. 647, 648, 648/2 है। इसके पडौसी खसरे मुझे मालूम नहीं है। हमने हमारे कंपनी के खसरों का माप तोल करवाकर लिया शेष पडौसी खसरों का माप तोल नहीं करवाया। हमने उक्त खसरे लीज पर उत्तम चन्द जैन से ली है। लीज डीड के समय मै उक्त कंपनी में इस साइट (वैल पैड—08) जिला बाडमेर पर कार्यरत नहीं था। कि पडौसी राण सिंह ने ग्राम मालियों ढाणी खसरा संख्या 649 का माप तोल की प्रक्रिया की या नहीं की मुझे जानकारी नही है अज खुद कहा कि इस प्रक्रिया का मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। हमने लीज पर ली हुई जमीन खसरा नं.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 18:03:45 IST
Reason: SelfAttested

647, 648, 648/2 मौके पर पूरी है कम ज्यादा नहीं है। हमारी लीज सुदा जमीन के सेडे कोइ सरकारी पत्थर लगे हो तो मुझे जानकारी नहीं है।

13. प्रकरण में उतमचंद पुत्र रूघनाथमल डी0डब्ल्यू—02 द्वारा अपने साक्ष्य शपथ पत्र में निम्न प्रकार कथन किये—

- कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 अपनी—अपनी खातेदारी आराजी पर वर्षों से काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। वादी एवं प्रतिवादी की उक्त खातेदारी आराजी की सेढ पर पुराने पेड़ एवं सेढा माठ बनी हुई है। जिसका वादी द्वारा अपने वादपत्र में स्वीकारोक्ति की है। प्रतिवादी संख्या 01 का अपना कब्जा वक्त जागीरकाल से निर्बाध एवं शांतिपूर्वक रूप से चला आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य पूर्व में कभी भी कब्जे को लेकर विवाद नहीं हुआ है। वादी द्वारा गलत रकबा की आड़ में सेटलमेंट के 70 वर्षों पश्चात् उक्त वाद गलत वादकारण के आधार पर पेश किया है। जो म्याद बाहर होने एवं बिना वादकारण पेश किया होने से काबिल—ए—खारिज है।
- कि वादपत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट—ए भाग प्रतिवादी संख्या 01 के कब्जे व काश्त की आराजी है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा काश्त वक्त भू—प्रबंध से चलता आ रहा है। इस आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 उक्त आराजी पर अतिक्रमी नहीं होकर उक्त रकबा प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी में घोषित करवाने का अधिकारी है। अंत में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने जवाब एवं प्रतिदावा में निवेदन किया कि परिशिष्ट—ए भाग में दर्शित रकबा प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी में घोषित करते हुए वादी को प्रतिवादी संख्या 01 की उक्त घोषित आराजी पर दखलअंदाजी नहीं करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

14. प्रकरण में डी0डब्ल्यू—02 की साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में अभिकथन किया किमेरी खातेदारी के खेत खसरा संख्या 647 , 648/2 , 646 अज खुद ने कहा कि 646 खसरा जो कि कम्पनी में चला गया कि मेरा साडी का व्यापार हैं तथा सुरत गुजरात में रहता हू। कि मेरा निवास नगर की ग्राम की आबादी में हैं। कि में उक्त खेत में काश्त नहीं करता हू कम्पनी को किराए पर दी हुई हैं। कि मेरे पडोसी खेत के खसरे सख्या मालुम नही है कम्पनी को जिस समय मैंने किराए पर दिए तब चार बार साधारण नाप कराया बकायदा तहसील से कराया जो मेरे पिताजी ने करवाया था। कि कम्पनी ने पूर्व में पूरा खसरा किराए पर लिया था बाद में अपनी आवश्यकता अनुसार आधा मौके पर खाली कर दिया इसके बाद में कम्पनी ने वापस अपना पुरे खेत का इकरार किराया आगे बढा दिया उस समय भी तहसील से नाप मैंने खुद करवाया। कि मेरे खेत खसरा संख्या 648 के सेढे नेख्मबंदी के पत्थर लगे हो इसकी जानकारी मुझे नही हैं क्योंकि कम्पनी के अधिकारी कम्रचारियों ने न तो मुझे बुलाया न तो मुझे सुचना दी। कि मेरे सेढे पत्थर गढी के पत्थर संख्या ख,ग,ड़ व च पत्थर लगे हो इसकी मुझे जानकारी नही हैं। कि पडोसी का खेत खसरा संख्या 649, 649/2 मौके पर रकबे अनुसार पूरा होना चाहिए तथा मेरा भी खेत खसरा संख्या 648 मौके पर रकबे अनुसार पूरा होना चाहिए। रकबे से अधिक भूमि नही चाहिए। कि नेख्मबंदी फर्द पर मेरे कही हस्ताक्षर नहीं है। कि यह कहना गलत है कि में आज झुठे बयान देने कोर्ट आया हू।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 13:03:45 IST
Reason: SelfAttested

15. प्रकरण में प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए वादी द्वारा वादी की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादी द्वारा मौका फर्द दिनांक 24.05.2024 में दर्शायी बरंग लाल भाग पर अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा को अवैध कब्जा करार देते हुए प्रतिवादी को वादी की उक्त अवैध कब्जेशुदा आराजी से बेदखल करते हुए वादी को कब्जा दिलवाकर वादी की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादी ने वादी की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादी के विरूद्ध बेदखली व कब्जा सुपुर्दगी के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री किया जावे।

16. प्रकरण में वादी अधिवक्ता ने दौराने ए जिरह लगभग वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वादी का दावा स्वीकार कर प्रतिवादी को बेदखल करने व स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता ने दौराने ए जिरह पृथक से लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए लगभग जवाब दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादी का दावा खारिज करने का निवेदन किया। साथ ही प्रतिवादी संख्या 02 के अधिवक्ता ने भी दौराने ए जिरह पृथक से लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए लगभग जवाब दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादी का दावा खारिज करने का निवेदन किया।

17. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण का तनकीयात निष्कर्ष किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में सर्वप्रथम कानूनी बिन्दु की तनकी संख्या 04 का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 04 निम्न प्रकार है—

> 4. आया वादी का दावा मियाद बाहर होने के कारण काबिल—ए—खारिज है।
>
> .....प्रतिवादी संख्या 01

18. अतः प्रकरण में कानूनी बिन्दु की तनकी संख्या 04 वादी की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादी द्वारा किये गये कब्जे को अवैध घोषित करवाते हुए प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने के अनुतोष के मियाद बाहर होने से संबंधित है। यह प्रश्न अनुतोष की परिसीमा अवधि से संबंधित है। इस कारण इस संबंध में परिसीमा अधिनियम—1963 के प्रासंगिक प्रावधान का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार परिसीमा अधिनियम—1963 की अनुसूची की इन्ट्री—64 का विवरण निम्न प्रकार है—

Description of suit	*Period of limitation*	*Time from which period begins to run*
64. For possession of immovable property based on previous possession and not on title, when the plaintiff while in possession of the property has been dispossessed.	*Twelve years.*	*The date of dispossession.*

19. इस प्रकार परिसीमा अधिनियम—1963 की अनुसूची की इन्ट्री—64 के अवलोकन से ज्ञाता होता है कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बेदखल करने के दिनांक से 12 वर्ष की समयसीमा के अन्तर्गत बेदखलकर्ता के विरूद्ध बेदखली का दावा लाया जा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 13:03:45 IST
Reason: SelfAttested

सकता है। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी को अपनी खातेदारी आराजी का दिनांक 28.05.2024 को नेखमबंदी करवाने के दौरान अपनी खातेदारी आराजी पर प्रतिवादी के कब्जे का ज्ञान हुआ। वादी को अपनी खातेदारी आराजी पर प्रतिवादी के कब्जे के संज्ञान आने के बाद वादी द्वारा बेदखली का दावा परिसीमा अवधि में ही प्रस्तुत किया गया है। इस कारण प्रथम दृष्टया वादी का दावा परिसीमा अवधि के अन्तर्गत प्रस्तुत किया हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार तनकी संख्या 04 को साबित करने में प्रतिवादी संख्या 01 असफल रहे है। इस कारण तनकी संख्या 04 प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध तथा वादी के पक्ष में फैसल की जाती है।

20. प्रकरण में अब कानूनी बिन्दु की तनकी संख्या 06 का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 06 निम्न प्रकार है—

> 6. आया वादवर्णित आराजी की नियमानुसार भूमि अवाप्ति होने के कारण हाजा न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण वादी का दावा काबिल—ए—खारिज है।
>
> .....प्रतिवादी संख्या 02

21. अतः प्रकरण में कानूनी बिन्दु की तनकी संख्या 06 प्रतिवादी संख्या 02 की अवाप्तशुदा भूमि पर वादी को किसी प्रकार का दावा राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने से संबंधित है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 02 पर है। इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 02 का अभिकथन है कि अवाप्तशुदा आराजी 648/1 पर हाजा न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण वादी का दावा काबिल—ए—खारिज है। इस संबंध में सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—207 का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—207 का उद्धरण निम्न प्रकार है—

> ***207. Suits and applications cognizable by revenue court only—***
> *(1) All suits and application of the nature specified in the Third Schedule shall be heard and determined by a revenue court.*
>
> *(2) No court other than a revenue court shall take cognizance of any such suit or application or of any suit or application based on a cause of action in respect of which any relief could be obtained by means of any such suitor application.*

22. प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—207 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की अनुसूची में उल्लेखित प्रकरणों पर सुनवाई का अधिकार केवल राजस्व न्यायालय को है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की अनुसूची का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की अनुसूची के प्रांसगिक प्रावधान का उद्धरण निम्न प्रकार है—

S. No.	*Section of Act*	*Description of suit, application or appeal*	*Period of Limitation*	*Time from period begins to run*	*Proper Court Fees*	*Court/Officer Competent to dispose of*
23	*183*	*Suit for ejectment of trespasser*	*Twelve years*	*When the cause of action arises*	*One Rupee*	*Assistant Collector*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 13:03:45 IST
Reason: SelfAttested

23. प्रकरण में उक्त इन्ट्री के विवेचन हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—183 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> **183. Ejectment of certain trespasser—**
>
> *(1) Not withstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any **land** without lawful authority shall be liable to ejectment, subject to the provision contained in sub-section (2), on the suit of the person or persons entitled to eject him and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.*
>
> *(2) In case of **land** which is held directly from the State Government or to which the State Government, acting through the Tehsildar, is entitled to admit the trespasser as tenant, the Tehsildar shall proceed in accordance with the provisions of section 91 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956).*

24. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—183 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—183 के अन्तर्गत किसी अतिक्रमी के किसी भूमि पर अवैध कब्जा होने/करने/कब्जा जारी रखने की स्थिति में उक्त अतिक्रमी उक्त भूमि से बेदखल किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। प्रकरण में अब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—183 के तहत भूमि की परिभाषा का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—183 के तहत भूमि की परिभाषा के प्रांसगिक प्रावधान धारा—5 (24) का उद्धरण निम्न प्रकार है—

> ***(24) "land"** shall mean land which is let or held for agricultural purposes or for purposes subservient thereto or as grove land or for pasturage, including land occupied by houses or enclosures situated on a holding, or land covered with water which may be used for the purpose of irrigation or growing singhara or other similar produce but excluding abadi land; it shall include benefits to arise out of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to earth.*

25. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। उक्त विधिक प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—183 एवं धारा—5 (24) के एक साथ अवलोकन से विधिक स्थिति स्पष्ट होती है कि धारा—5 (24) के तहत केवल कृषि भूमि एवं कृषि के आनुषांगिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि को ही भूमि की परिभाषा के तहत शामिल माना गया है। धारा—5 (24) के तहत अवाप्तशुदा भूमि या कृषि भूमि से इतर आराजी भूमि की परिभाषा शामिल नहीं है। इस प्रकार अवाप्तशुदा भूमि या कृषि भूमि से इतर आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—183 के तहत बेदखली का दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—207 के तहत राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण राजस्व न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा धारित भूमि खसरा संख्या 648/1 अवाप्तशुदा भूमि है। इस कारण वादी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—183 के तहत बेदखली का दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 13:03:45 IST
Reason: SelfAttested

धारा—207 के तहत हाजा राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण अनुतोष पोषणीय प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त तनकी को साबित करने में प्रतिवादी संख्या 02 सफल रहे है। इस प्रकार तनकी संख्या 06 प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

26. प्रकरण में अब तनकी संख्या 07 का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 07 निम्न प्रकार है—

> 7. आया प्रतिवादी संख्या 02 वादवर्णित आराजी की नियमानुसार भूमि अवाप्ति होने के कारण विरूद्ध वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।
>
> .....प्रतिवादी संख्या 02

27. अतः प्रकरण में तनकी संख्या 07 प्रतिवादी संख्या 02 की अवाप्तशुदा भूमि पर वादी को दावा लाने का कोई अधिकार नहीं होने से संबंधित है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 02 पर है। यह प्रश्न अनुतोष की परिसीमा अवधि तथा दावा लाने के अधिकार से संबंधित है। इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 02 का अभिकथन है कि अवाप्तशुदा आराजी 648/1 पर हाजा न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण वादी का दावा काबिल—ए—खारिज है। इस संबंध में सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—207 का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—207 का उद्धरण निम्न प्रकार है—

> ***207. Suits and applications cognizable by revenue court only—***
> *(1) All suits and application of the nature specified in the Third Schedule shall be heard and determined by a revenue court.*
>
> *(2) No court other than a revenue court shall take cognizance of any such suit or application or of any suit or application based on a cause of action in respect of which any relief could be obtained by means of any such suitor application.*

28. प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—207 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की अनुसूची में उल्लेखित प्रकरणों पर सुनवाई का अधिकार केवल राजस्व न्यायालय को है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की अनुसूची का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की अनुसूची के प्रांसगिक प्रावधान का उद्धरण निम्न प्रकार है—

S. No.	*Section of Act*	*Description of suit, application or appeal*	*Period of Limitation*	*Time from period begins to run*	*Proper Court Fees*	*Court/Officer Competent to dispose of*
23-C	*188*	*Suit for perpetual injunction.*	*Three years action arises*	*When the cause of action arises*	*One Rupee*	*Assistant Collector*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 18:03:45 IST
Reason: SelfAttested

29. प्रकरण में उक्त इन्ट्री के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> **188. Injunction against wrongful ejectment—**
> *(1) Any **tenant** whose right to or enjoyment of the whole or a part of his **holding** is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
>
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> a. *if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> b. *if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> c. *where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> d. *where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

30. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि किसी खातेदार को अपनी खातेदारी आराजी के उपयोग में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा व्यवधान को रोकने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। प्रकरण में अब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के तहत काश्तकार की परिभाषा का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के तहत भूमि की परिभाषा के प्रांसगिक प्रावधान धारा—5 (43) का उद्धरण निम्न प्रकार है—

> ***(43) "Tenant"** shall mean the person by whom rent is, or, but for a contract, express or implied, would be, payable and, except when the contrary intention appear (.....)*

31. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। उक्त विधिक प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188ध एवं धारा—5 (43) के एक साथ अवलोकन से विधिक स्थिति स्पष्ट होती है कि धारा—5 (43) के तहत केवल कृषि भूमि एवं कृषि के आनुषांगिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि के उपयोगकर्ता एवं लगान अदा करने वाले व्यक्ति को ही काश्तकार की परिभाषा के तहत शामिल माना गया है। इस प्रकार धारा—5 (43) के तहत अवाप्तशुदा भूमि या कृषि भूमि से इतर आराजी भूमि के उपयोगकर्ता एवं लगान अदा नहीं करने वाले व्यक्ति को काश्तकार की परिभाषा शामिल नहीं है। धारा—5 (43) के तहत अवाप्तशुदा भूमि या कृषि भूमि से इतर आराजी भूमि के उपयोगकर्ता एवं लगान अदा नहीं करने वाले व्यक्ति को काश्तकार की परिभाषा शामिल नहीं होने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के तहत स्थायी निषेधाज्ञा का दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—207 के तहत राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण राजस्व न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा धारित भूमि खसरा संख्या 648/1 अवाप्तशुदा भूमि है। इस कारण वादी को राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 18:03:45 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के तहत स्थायी निषेधाज्ञा का दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—207 के तहत हाजा राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण अनुतोष पोषणीय प्रतीत नहीं होता है।

32. साथ ही प्रकरण में इस संबंध में परिसीमा अधिनियम—1963 के प्रासंगिक प्रावधान का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस कारण इस संबंध में परिसीमा अधिनियम—1963 के प्रासंगिक प्रावधान का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार परिसीमा अधिनियम—1963 की अनुसूची की इन्ट्री—64 का विवरण निम्न प्रकार है—

Description of suit	*Period of limitation*	*Time from which period begins to run*
65. For possession of immovable property based on previous possession and not on title, when the plaintiff while in possession of the property has been dispossessed.	*Twelve years.*	*The date of dispossession.*

33. इस प्रकार परिसीमा अधिनियम—1963 की अनुसूची की इन्ट्री—64 के अवलोकन से ज्ञाता होता है कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बेदखल करने के दिनांक से 12 वर्ष की समयसीमा के अन्तर्गत बेदखलकर्ता के विरूद्ध बेदखली का दावा लाया जा सकता है।

34. प्रकरण में प्रतिवादी का अभिकथन है कि प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा खसरा संख्या 648 मौजा मालियों की ढाणी, नगर की कुल भूमि में से 14—14 बीघा भूमि अवाप्ति अधिकारी बाड़मेर के द्वारा प्रकरण संख्या 334/2010 में दिनांक 18.10.2011 को अवाप्ति की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए पूर्ण मुआवजा राशि प्रदान करते हुए प्राप्त की है। उक्त अवाप्ति के पश्चात राजस्व कार्मिकों द्वारा मौके पर अवाप्तशुदा भूमि की पैमाईश कर नेखम स्थापित कर प्रतिवादी संख्या 02 को कब्जा सुपुर्द किया। तत्पश्चात ही प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा मौके पर वैलपेड निर्माण का कार्य किया गया। इसके बाद वर्ष 2021 में प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी आराजी 648, 647, 648/2 को 14 वर्ष 11 माह की लीज पर लिया गया है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 02 का कब्जा चला आ रहा है। इसके समर्थन में प्रतिवादी द्वारा प्रदर्श—05 प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि खसरा संख्या 648/1 की नियमानुसार अवाप्ति के पश्चात प्रतिवादी संख्या 02 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है।

35. इस प्रकार प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 02 की भूमि अवाप्तशुदा भूमि है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा खसरा संख्या 648 मौजा मालियों की ढाणी, नगर की कुल भूमि में से 14—14 बीघा भूमि अवाप्ति अधिकारी बाड़मेर के द्वारा प्रकरण संख्या 334/2010 में दिनांक 18.10.2011 को अवाप्ति की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए पूर्ण मुआवजा राशि प्रदान करते हुए प्राप्त की है। उक्त अवाप्ति के पश्चात राजस्व कार्मिकों द्वारा मौके पर अवाप्तशुदा भूमि की पैमाईश कर नेखम स्थापित कर प्रतिवादी संख्या 02 को कब्जा सुपुर्द किया गया है। इस संबंध में पी0डब्ल्यू—01 तथा पी0डब्ल्यू—02 के बयान के अवलोकन पर ज्ञात होता है कि पी0डब्ल्यू—01 तथा पी0डब्ल्यू—02 के द्वारा दौराने प्रतिपरीक्षण स्वीकार किया है कि कम्पनी का वेलपेड संख्या 8 खसरा संख्या 648 पर अवाप्तशुदा भूमि पर बना हुआ है। कम्पनी ने 648 नंबर की भूमि, भूमि आवाप्ति अधिकारी से अवाप्ति की कार्यवाही कर दोनो तरफ तारबंदी कर कंपनी को सुपुर्द की

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 18:03:45 IST
Reason: SelfAttested

थी। साथ ही स्वीकार किया है कि अवाप्ति से लेकर आज दिन तक अवाप्तशुदा भूमि पर कंपनी का कब्जा है। इस प्रकार वादी को प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा की गई उक्त अवाप्तशुदा भूमि का संज्ञान भलीभांति वर्ष 2011 से है। साथ ही वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 के कब्जे से कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। इस प्रकार वादी को प्रतिवादी संख्या 02 की आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादी संख्या 02 के कब्जे की जानकारी वर्ष 2011 में ही हो गई थी। इस प्रकार वादी को प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्ध वाद लाने का वादहेतुक वर्ष 2011 में उत्पन्न हो गया था। परंतु वादी द्वारा वर्ष 2024 में बेदखली का दावा निर्धारित 12 वर्ष की समयअवधि की समाप्ति के पश्चात प्रस्तुत किया है। इस कारण वादी का प्रतिवादी संख्या 02 की अवाप्तशुदा आराजी खसरा संख्या 648/1 पर बेदखली की कार्यवाही का अधिकार समाप्त हो चुका है।

36. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 02 की आराजी अवाप्तशुदा आराजी है। उक्त आराजी पर किसी प्रकार का दावा सुनने का क्षेत्राधिकार हाजा न्यायालय को नहीं है। अतः उक्त तनकी को साबित करने में प्रतिवादी संख्या 02 असफल रहे है। इस प्रकार तनकी संख्या 07 प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्ध फैसल की जाती है।

37. प्रकरण में अब तनकी संख्या 03 का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 03 निम्न प्रकार है—

> 3. आया प्रतिवादी संख्या 01 के दावा के साथ संलग्न परिशिष्ठ—ए में अंकित भाग पर दीर्घकाल से शांतिपूर्वक कब्जा होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है।
>
> .....प्रतिवादी संख्या 01

38. प्रकरण में तनकी संख्या 03 दावा के साथ संलग्न परिशिष्ठ—ए में अंकित भाग पर प्रतिवादी संख्या 01 का दीर्घकाल से शांतिपूर्वक कब्जा होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा होने से संबंधित है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 01 पर है। यह अनुतोष की विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित है। प्रकरण में वादी द्वारा कब्जा मुखालफाना/विपरित कब्जा/एडवर्स पजेशन के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—88 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्ति हेतु अनुतोष चाहा है। प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—88, 89 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो इस प्रकार हैः—

CHAPTER VIII

Declaratory Suits

*88. **Suits for declaration of right**— (1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenant may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy.*

(2) A tenant of Khudkasht may sue for a declaration that he is such a tenant.

(3) A sub-tenant may sue the person from whom he holds for declaration that he is a sub-tenant.

(4) A landholder other than a State Government may sue a person claiming to be a tenant or co-tenant of a holding or a tenant of

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 18:03:45 IST
Reason: SelfAttested

Khudkasht or a sub-tenant for a declaration of the right of such person.

*89. **Suit as to class of tenancy etc.**— At any time during the continuance of a tenancy. the tenant or a landholder other than the State Government may sue for declaration as to all or any of the following matters. namely:-*

a. *the class to which the tenant belongs.*
b. *the area. numbered plots or boundaries of the holding.*
c. *the rent payable in respect of the holding-and the manner in which it is payable:*
d. *in the case of rent payable in case. the dates on which and the instalments in which it is payable.*
e. *in-the case of rent payable in kind. the time place and manner of appraisement. division or delivery of the crops.*
f. *in the case of a Gair Khatedar tenant or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant. the term for which the tenancy is to run. and.*
g. *any special conditions not inconsistent with the provisions of this Act.*

39. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—88, 89 के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय सहायक कलक्टर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—88, 89 के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 तथा 19 के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो इस प्रकार है:—

*15. **Khatedar tenants**— (1) Subject to the provisions of section 16 and clause (d) of Sub-section (1) of section 180 every person who, at the commencement of this Act, is a tenant of land otherwise than as a sub-tenant or a tenant of Khudkasht or who is, after the commencement of this Act, admitted as a tenant otherwise than a sub-tenant or tenant of Khudkasht or an allottee of land under, and in accordance with, rules made under section 101 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) or who acquires Khatedari rights in accordance with provisions of this Act or of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagir Act, 1952 (Rajasthan Act VI of 1952) or of any other law for the time being in force shall be a Khatedar tenant and shall, subject to the provision of this Act be entitled to all the rights conferred; and be subject to all the liabilities imposed on Khatedar tenants by this Act:*

***Provided** that no Khatedari rights shall accrue under this section to any tenant, to whom land is or has been let out temporarily in Gang Canal, Bhakra, Chambal or Jawai project area or any other area notified in this behalf by the State Government.*
(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) Khatedari rights shall not accrue there under to any person to whom land had been let out before the commencement of this Act by the State Government in furtherance of the Grow More Food Campaign or under some special order subject to some specified conditions or in pursuance of some statutory or non-statutory rules and who shall have, before such commencement, made a default in securing the objective of such campaign or a breach of any such order, condition or rule.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 18:03:45 IST
Reason: SelfAttested

(3) Any person referred to in sub-section (2) may, within three years from the date of commencement of this Act and on payment of a court-fee of twenty five naye paise apply to the Assistant Collector having jurisdiction praying for a declaration that acquired Khatedari right under sub-section (1) in the land held by him.
(4) Such application may be made on any of the following grounds, namely:

a. *that the land held by him was let out to him after the" commencement of this Act.*
b. *that it was not let out to him in any of the circumstances specified in sub-section (2).*
c. *that when the- land was so let out to him he was not apprised of such circumstances.*
d. *that he had, before such commencement made no default or breach of the nature specified in sub-section (2).*

(5) The Assistant Collector shall, upon the presentation of an application under sub-section (3), make inquiry in the prescribed manner and afford reasonable opportunity to the applicant of being heard and shall, if he does not reject the application , declare the applicant to have become Khatedar tenant of his holding in accordance with and subject to the provisions of the subsection (I).

40. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 के अवलोकन से स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति / काश्तकार को निम्न तीन आधारो पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते हैः—

1. *राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के प्रवृत होने की तिथि / 15.10.1955 को राजस्व रिकॉर्ड में वास्तविक कृषक दर्ज होना।*
2. *राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के प्रवृत होने की तिथि / 15.10.1955 के पश्चात खातेदार काश्तकार के रूप में शामिल होना।*
3. *राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—101 के तहत बनाये गये नियमों के तहत वैध आवंटी काश्तकार होना।*

41. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—19 का उद्धरण प्रासंगिक है। जिसका प्रासांगिक उद्धरण इस प्रकार हैः—

*19. **Conferment of rights on certain tenants of Khudkasht and sub tenants**— (1) Every person who, at the commencement of this Act—*

a. *was entered in the annual registers then current as a tenant of Khudkasht or sub-tenant of land other than grove land, or*
b. *was not so entered but was a tenant of Khudkasht or sub-tenant of land other than grove land*

shall as from the date of commencement of the Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 1959, hereafter in this Chapter referred to as the appointed date, become, subject to the other provisions contained in this Chapter, the Khatedar tenant of such part of the land held by him as does not exceed the minimum area prescribed by the State Government for the purpose of clause (a) of sub-section (1) of section 130 or exceeds the maximum area from which such person is liable to ejectment under clause (d) of the said sub-section of the said section and rights in improvements in that part of the said land shall also accrue to such person:

***Provided** that Khatedari rights or rights in improvements shall not so accrue—*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 18:03:45 IST
Reason: SelfAttested

i. if such part of the said land is held from any of the persons enumerated in section 46, or

ii. if such rights therein may not accrue under the proviso to sub-section (I) of section 15 or under section 15-A or under section 15-B or under section 16, or

iii. if such person has, after the commencement of this Act and before the appointed date, ceased to be such tenant of Khudkasht or sub-tenant by virtue of lawful surrender of abandonment in accordance with the provisions of this Act or because of his having been ejected in accordance with those provisions by and under the decree or order of a competent revenue court.

42. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—19 के अवलोकन से स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति/काश्तकार को निम्न तीन आधारो पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते हैः—

1. *राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के प्रवृत होने की तिथि/15.10.1955 को वार्षिक राजस्व रिकॉर्ड में वास्तविक कृषक/उपकृषक दर्ज होना।*
2. *राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के प्रवृत होने की तिथि/15.10.1955 को वास्तविक कृषक/उपकृषक के रूप में मौके पर काबिज काश्त किया जाना साबित होना।*

43. प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो/राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्रतिवादी स्वय् वादी की खातेदारी आराजी का खातेदार दर्ज रिकॉर्ड नही है। प्रकरण में प्रतिवादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के प्रवृत होने की तिथि/15.10.1955 को वादी की खातेदारी आराजी पर काश्तकार साबित नही है। इसी प्रकार प्रतिवादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के प्रवृत होने की तिथि/15.10.1955 के पश्चात वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदार काश्तकार के रूप में शामिल नही हुआ। साथ ही प्रतिवादी राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—101 के तहत बनाये गये नियमों के तहत वादी की खातेदारी आराजी पर वैध आवंटी काश्तकार साबित नही है। साथ ही प्रतिवादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के प्रवृत होने की तिथि/15.10.1955 को वादी की खातेदारी आराजी पर वार्षिक राजस्व रिकॉर्ड में वास्तविक कृषक/उपकृषक दर्ज साबित नही है। साथ ही प्रतिवादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के प्रवृत होने की तिथि/15.10.1955 को वादी की खातेदारी आराजी पर वास्तविक कृषक/उपकृषक के रूप में मौके पर काबिज काश्त किया जाना साबित नही है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 व 19 के अनुसार वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदार घोषित होने की पात्रता रखना साबित नही कर पाए है।

44. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा कब्जा मुखालफाना/विपरित कब्जा/एडवर्स पजेशन के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—88 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्ति हेतु अनुतोष चाहा है। उक्त अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—88 के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—63 के तहत निवेदित किया गया है। इस संबंध में माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा छोटू बनाम छीतर व गोपाल बनाम श्रावणी अपील में दिनांक 12.11.2013 को दिये गये निर्णय तथा सरजू राव बनाम अमृत लाल प्रकरण संख्या—2002/5176 अपील में

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 13:03:45 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 30.08.2018 को दिये गये निर्णय में विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं मिलने का न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किये हैं। अतः प्रकरण में उक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार हैः—

> *60. After giving an exhaustive consideration to the matter in hand, we are also constrained to note that in the Rajasthan Tenancy Act, 1955, there is no provision in whom the khatedari rights would vest in case the land has been acquired by a person through adverse possession. It is creating a lot of chaos and confusion among the litigants as well as the administrative machinery. This omission in the land laws has also become a cause of multiplicity of litigation. Therefore, we would like to recommend the State of Rajasthan through Chief Secretary for 39 making suitable changes in the land laws of the State so as to abolish the law of adverse possession in its entirety and in the alternate to make a clarification for vesting of khatedari rights of the lands, which have been acquired through adverse possession.*

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 7764/2014 रविंद्र कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर प्रकरण में दिनांक 07.08.2019 को दिये गये निर्णय के आधार पर विपरीत कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—63 के तहत स्वामित्व/खातेदारी अधिकार नहीं मिलने के न्यायिक दृष्टांत के आधार पर भी वादी को उक्त आराजी पर विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 7764/2014 रविंद्र कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर प्रकरण में दिनांक 07.08.2019 को दिये गये निर्णय के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण यहा प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> *39. In the light of the aforesaid discussion, when we consider the decision in Gurdwara Sahib v. Gram Panchayat Village Sirthala & Anr., (2014) 1 SCC 669 decided by twoJudge Bench wherein a question arose whether the plaintiff is in adverse possession of the suit land this Court referred to the Punjab & Haryana High Court decision on Gurdwara Sahib Sannauli v. State of Punjab (2009) 154 PLR 756 and observed that there cannot be 'any quarrel' to the extent that the judgments of courts below are correct and without any blemish. Even if the plaintiff is found to be in adverse possession, it cannot seek a declaration to the effect that such adverse possession has matured into ownership. The discussion made is confined to para 8 only. The same is extracted hereunder:*
>
> > *"4. In so far as the first issue is concerned, it was decided in favour of the plaintiff returning the findings that the appellant was in adverse possession of the suit property since 13.4.1952 as this fact had been proved by a plethora of documentary evidence produced by the appellant. However, while deciding the second issue, the court opined that no declaration can be sought on the basis of adverse possession inasmuch as adverse possession can be used as a shield and not as a sword. The learned Civil Judge relied upon the judgment of the Punjab and Haryana High Court in Gurdwara Sahib Sannuali v. State of*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 18:03:45 IST
Reason: SelfAttested

Punjab (2009) 154 PLR 756 and thus, decided the issue against the plaintiff. Issue 3 was also, in the same vein, decided against the appellant.

45. इस प्रकार उपरोक्त विधि प्रावधानो एवं न्यायिक दृष्टान्तो के परिपेक्ष्य में स्पष्ट है कि वर्तमान संदर्भ में केवल कब्जा मुखालफाना/विपरित कब्जे के आधार पर स्वामित्व का अधिकार प्राप्त नही हो सकता है। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 में भी केवल कब्जा मुखालफाना/विपरित कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के कोई प्रावधान नही है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 अपना प्रकरण साबित करने में असफल रहा है। इस कारण तनकी संख्या 03 प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध फैसल की जाती है।

46. प्रकरण में अब तनकी संख्या 01 का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 01 निम्न प्रकार है—

1. आया वादी अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 649/1. 4002 है0 मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी भूमि के आंशिक भाग पर प्रतिवादी द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाकर प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

.....वादी

47. प्रकरण में तनकी संख्या 01 वादी की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के अवैध कब्जे को बेदखल करते हुए कब्जा सुपुर्दगी किये जाने से संबंधित है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। प्रकरण में वादी द्वारा अपने दावे को पुष्ट करने हेतु प्रदर्श संख्या—01 प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 649/1.4002 है0 मौजा मालियों की ढाणी में अवस्थित हैं। प्रकरण में प्रदर्श संख्या—02 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी की उक्त खातेदारी आराजी के पड़ौस में प्रतिवादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 648, 649/2, 648/1 अवस्थित हैं। प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा निर्णित राजस्व वाद की पालना में वादी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की नेखमबंदी करवाई। उक्त नेखमबंदी के दौरान वादी की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का कब्जा स्पष्ट हुआ।

48. प्रकरण में वादी अनुसार उक्त नेखमबंदी के दौरान वादी की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का कब्जा स्पष्ट हुआ। वादी द्वारा वादी की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादी का कब्जा को हटाने हेतु निवेदन किया। परंतु प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा कब्जा नहीं हटाया। इस कारण वादी को द्वारा वादी की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का कब्जा को हटवाने हेतु बेदखली व प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है।

49. प्रकरण में साक्ष्य गवाह के बयानो का अवलोकन किया गया। पी. डब्ल्यू.—1 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि प्रतिवादी द्वारा वादी की आराजी के कुछ हिस्से पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 13:03:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी द्वारा कब्जा कर रखा है। प्रकरण में डी.डब्ल्यू.—01 ने अभिकथन किया कि प्रतिवादी संख्या 01 का उक्त भूमि पर वक्त बंदोबस्त के समय से ही कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादी की किसी आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या 01 स्वयं की खातेदारी आराजी पर ही काबिज काश्त है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 02 का अभिकथन है कि खसरा संख्या 648/1 की नियमानुसार अवाप्ति किये जाने एवं राजस्व कार्मिकों द्वारा सीमाज्ञान करते हुए कब्जा सुपुर्द किये जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 02 का केवल अपनी आराजी पर ही कब्जा है।

50. प्रकरण में प्रदर्श संख्या—07—17 तथा नेखमबंदी की पालना रिपोर्ट के नजरी नक्शा के अवलोकन से अनुसार स्पष्ट है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 649 मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी तथा प्रतिवादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 648, 648/1 मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी आपस में सेड़े—सेढ़ अवस्थित है। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन तथा साक्ष्य गवाह के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 649 मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर प्रतिवादी द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादी द्वारा वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 649 मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में राजस्व कार्मिकों द्वारा नेखमबंदी की जाकर वादी की खातेदारी आराजी की सीमाओं का चिन्हीकरण किया गया है। उक्त नेखमबंदी के विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा कोई चुनौती नहीं की गई। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी को उक्त नेखमबंदी स्वीकार है। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब व साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादी वक्त बंदोबस्त के समय से ही केवल अपनी आराजी पर काबिज—काश्त हैं। उक्त प्रकार से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी अपनी खातेदारी आराजी से इत्तर या अधिक रकबे पर वादी की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर काबिज काश्त हैं।

51. प्रतिवादी का कथन है कि प्रकरण में वादी द्वारा पृथक से कोई मौका रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही प्रतिवादी का वक्त बंदोबस्त एवं अवाप्ति के समय से कब्जा होने के कारण वादी का वाद म्याद बाहर है। प्रकरण में वादी की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर वक्त बंदोबस्त एवं अवाप्ति के समय से प्रतिवादी का काबिज—काश्त होने मात्र से प्रतिवादी का कब्जा वैध कब्जा साबित नहीं होता है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा वादी की खातेदारी खसरा संख्या 649 मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा मानने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार उक्त प्रतिवादी द्वारा वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 649 मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को अवैध माना जाना उचित प्रतीत होता है।

52. साथ ही प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन तथा साक्ष्य गवाह के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 649 मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर प्रतिवादी द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादी द्वारा वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 649 मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 18:03:45 IST
Reason: SelfAttested

वादी की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर वक्त खरीद के समय से प्रतिवादी का काबिज—काश्त होने मात्र से प्रतिवादी का कब्जा वैध कब्जा साबित नहीं होता है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 649 मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा मानते हुए प्रतिवादी को उक्त कब्जेशुदा आराजी का खातेदार मानने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार उक्त प्रतिवादी द्वारा वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 649 मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को अवैध कब्जे के आधार पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—5 (44) के अन्तर्गत अतिक्रमी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया हैः—

> ***(44) "Trespasser"*** *shall mean a person who takes or retains possession of and without authority or who prevents another person from occupying land duly let out to him;*

53. इस प्रकार उक्त विश्लेषण के अनुसार वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 649 मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर प्रतिवादी द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादी द्वारा वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 649 मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर वक्त खरीद के समय से प्रतिवादी का काबिज—काश्त होने मात्र से प्रतिवादी का कब्जा वैध कब्जा साबित नहीं होता है। अतः प्रकरण में तनकी संख्या 01 को साबित करने में वादी सफल रहे हैं। इस प्रकार तनकी संख्या 01 वादी के पक्ष में आंशिक स्वीकार की जाती है।

54. प्रकरण में अब तनकी संख्या 05 का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 05 निम्न प्रकार है—

> 5. आया प्रतिवादी का वादी की आराजी पर कोई नवीन कब्जा नहीं होने के कारण वादी का दावा काबिल—ए—खारिज है।
>
> .....प्रतिवादी संख्या 01

55. प्रकरण में तनकी संख्या 05 वादी की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01 का नवीन कब्जा नहीं होने के कारण वादी को दावा लाने के अधिकार नहीं होने से संबंधित है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 01 पर है। इस संबंध में तनकी संख्या 04 के प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध फैसल होने तथा तनकी संख्या 01 के वादी के पक्ष में फैसल होने से पृथक से विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार तनकी संख्या 04 के प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध फैसल होने तथा तनकी संख्या 01 के वादी के पक्ष में फैसल होने से तनकी संख्या 05 प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध फैसल की जाती है।

56. प्रकरण में अब तनकी संख्या 02 का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 02 निम्न प्रकार है—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 18:03:45 IST
Reason: SelfAttested

2. आया वादी अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 649/1. 4002 है0 मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी पर विरूद्ध प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

.....वादी

57. प्रकरण में तनकी संख्या 01 वादी की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी के जिम्मे है। प्रकरण में इस तनकी के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

188. Injunction against wrongful ejectment—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

58. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

59. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादी द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 18:03:45 IST
Reason: SelfAttested

वादी को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादी का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।

60. उक्त प्रकार से स्पष्ट है कि उक्त खातेदारी आराजी वादी की निजी खातेदारी आराजी है तथा प्रतिवादी का उक्त वादी की खातेदारी आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण	विश्लेषण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान /घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।	1. प्रकरण में वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 649 मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी पर वादी के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादी को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादी की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादी द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादी को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 649 मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी पर वादी के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
1.	जब अतिक्रमण/व्यवधान /घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।	1. प्रकरण में वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 649 मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी पर वादी के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादी को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादी की निजी खातेदारी आराजी परखातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादी द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादी को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मुआवजा दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 649 मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी पर वादी के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
2.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान /घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।	
3.	जब निषेधाज्ञा	1. प्रकरण में वादी की खातेदारी आराजी खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 13:03:45 IST
Reason: SelfAttested

	राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।	संख्या 649 मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी पर वादी की निजी खातेदारी आराजी परखातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादी द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से रोकने का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाया गया है। 2. अगर वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 649 मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी पर वादी के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में बेदखली के अनेक वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 3. अगर वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 649 मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी पर वादी के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में मुआवजे के वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 4. अगर वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 649 मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी पर वादी के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते है। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है।

61. इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 649 मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होता है। वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 649 मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होने से सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में झुकाव रखता है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादी का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। साथ ही यदि प्रतिवादी द्वारा वादी को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादी को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु चार परिस्थितियां भी वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होना इंगित करती है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी तनकी संख्या 02 के तहत प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः प्रकरण में तनकी संख्या 02 को साबित करने में वादी सफल रहे हैं। इस प्रकार तनकी संख्या 02 वादी के पक्ष में आंशिक स्वीकार की जाती है।

62. इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निष्कर्षतः वादी को प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्ध अवाप्तशुदा आराजी खसरा संख्या 648/1 के विरूद्ध बेदखली का दावा सुनने का क्षेत्राधिकार हाजा न्यायालय को प्राप्त नहीं है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 02 की

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 18:03:45 IST
Reason: SelfAttested

अवाप्तशुदा भूमि के उपर किये गये निर्माण को सीमाज्ञान व नेखमबंदी के पश्चात वादी की खातेदारी आराजी में आने पर वादी को खातेदारी आराजी से प्रतिवादी संख्या 02 को बेदखल किये जाने व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार मियाद बाहर हो जाने के कारण अब समाप्त हो चुका है। प्रकरण में वादी को केवल प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा वादी की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर किये गये अवैध कब्जे को बेदखल करवाते हुए कब्जा पुनः प्राप्त करते हुए स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादी का दावा केवल प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध आंशिक स्वीकार करते हुए डिक्री जाता है। वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 649 मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किये गये कब्जे को अवैध करार देते हुए उक्त रकबे तक प्रतिवादी संख्या 01 को अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल किये जाकर कब्जा वादी को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 को अपनी खातेदारी आराजी का विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन करवाने के पश्चात विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादी की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने—जोतने, काटने, लाने—ले जाने में रूकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादी की उक्त खातेदारी आराजी पर वादी को बेदखल नहीं करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। साथ ही वादी का दावा बाबत बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्ध खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णयानुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 22.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 13:03:45 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी—केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2024 / 325 दर्ज तिथिः—05.08.2024

1. राणसिंह पुत्र डूंगरसिंह
   जाति रावणा राजपूत साकिन नयानगर ग्राम पंचायत नया नगर तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर।

.....वादी

बनाम

1. उतमचंद पुत्र रूगनाथमल
   जाति महाजन जैन, निवासी नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
2. ONGCL केयर्न ऑयल एण्ड गैस वेदान्ता लिमिटेड वेलपेड संख्या—8
   वेलपेड साईट मालियों की ढाणी आरजीटी, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादी

3. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

.....तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री चिमनसिंह चौधरी
प्रतिवादीः—श्री रामजीवन विश्नोई
श्री मुकुल सर्राफ

वादपत्र अन्तर्गत धारा—183, 188
राजजस्थान काश्त0 अधि0—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

वादी का दावा केवल प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध आंशिक स्वीकार करते हुए डिक्री जाता है। वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 649 मौजा मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किये गये कब्जे को अवैध करार देते हुए उक्त रकबे तक प्रतिवादी संख्या 01 को अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल किये जाकर कब्जा वादी को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 को अपनी खातेदारी आराजी का विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन करवाने के पश्चात विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 13:03:45 IST
Reason: SelfAttested

वादी की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने—जोतने, काटने, लाने—ले जाने में रूकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादी की उक्त खातेदारी आराजी पर वादी को बेदखल नहीं करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। साथ ही वादी का दावा बाबत बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्ध खारिज किया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 22.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गयी एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.27 13:03:45 IST
Reason: SelfAttested